15 सितम्बर, 2022

सार्वजनिक सूचना

पीएसीएल लि. के निवेशकों / आवेदकों को किए गए भुगतान की स्थिति

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति ने, तारीख **27 मार्च, 2022** की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, उन पात्र निवेशकों से पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने को कहा था जिनकी बकाया रकम (मूलधन की रकम) **10,000/- रुपये** से **15,000/- रुपये** तक की हो, ताकि इस प्रकार प्राप्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों का सत्यापन किए जाने के बाद उन निवेशकों को रकम अदा की जा सके । इस प्रकार प्रमाणपत्र की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने के लिए **1 अप्रैल, 2022** से **31 अगस्त, 2022** तक का समय प्रदान किया गया ।

2. उसके बाद, समिति ने यह पाया कि निवेशकों को प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनज़र समिति ने यह निर्णय लिया कि सत्यापन के बाद जिन निवेशकों [जिनकी बकाया रकम (मूलधन की रकम) **10,000/- रुपये** से **15,000/- रुपये** तक की है] के आवेदन पात्र पाए गए हैं उन्हें रकम अदा कर दी जाए, फिर भले ही उन्होंने प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत की हों या न की हों ।

3. तदनुसार, **5,51,909** पात्र आवेदनों [जिनमें बकाया रकम (मूलधन की रकम) **10,000/- रुपये** से **15,000/- रुपये** तक की थी] के संबंध में कुल **384.24 करोड़ रुपये** की रकम अदा की जा चुकी है ।

4. अब तक, समिति ने सफलतापूर्वक कुल **18,43,010** पात्र आवेदनों [जिनमें बकाया रकम (मूलधन की रकम) **15,000/- रुपये** तक की थी] के संबंध में कुल **831.78 करोड़ रुपये** की रकम अदा कर दी है ।

5. इसके अलावा, निवेशकों को यह सूचित किया जाता है कि पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बीत चुकी है और तदनुसार, निवेशकों से अनुरोध है कि वे तब तक पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ न भिजवाएँ, जब तक समिति की ओर से उनसे ऐसा करने को न कहा जाए ।

6. निवेशकों को इस बात से फिर से आगाह किया जाता है कि वे पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ किसी को भी न दें ।